न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2021/105

रेवडमल पुत्र लादूराम गुर्जर (दौराने अपील मृतक आदेश दिनांक 02.01.24)

1. बसन्ती देवी पत्नी स्व. रेवडमल
2. रामचन्द्र
3. गणेश
4. गुरूदयाल

पुत्रान स्व. रेवडमल, समस्त जाति गूर्जर निवासीयान ग्राम पिचाणी ढाणी उपला स्वामी की, तन खडब तहसील व जिला जयपुर (राजस्थान)

– अपीलान्ट

बनाम

1. रोहिताश पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पिचाणी ढाणी उपला स्वामी की, तन खडब तहसील व जिला कोटपूतली (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार, कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली
3. अति0 जिलाधीश, कोटपूतली तहसील व जिला कोटपूतली (राज0)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध अतिरिक्त जिलाधीश, कोटपूतली दिनांक 17.03.2021 बाबत अपील संख्या 27/2020 उनवानी रोहिताश बनाम राजस्थान सरकार जिसके द्वारा उन्होनें अनुचित अवैध एवं क्षेत्राधिकार–विहिन रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या–1 रोहिताश की प्रथम अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.7.2020 बाबत प्रकरण संख्या 106/2020 उनवानी सरकार बनाम रोहिताश को निरस्त कर विवादित भूमि खसरा नंबर 140/0.98 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड को रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में अवैध रूप से नियम किये जाने हेतु प्रकरण रिमांड किया।

उपस्थित–

1. श्री हेमन्त दीक्षित, वकील अपीलान्ट
2. श्री दिनेश पारीक, वकील रेस्पो. नं. 1 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों नं. 2 व 3 की ओर से

अपील जीसीएमएस नम्बर 2021/187

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

1. रोहिताश पुत्र प्रभुदयाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पिचाणी ढाणी उपला स्वामी की तन खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध अतिरिक्त जिलाधीश, कोटपूतली दिनांक 17.03.2021 बाबत अपील संख्या 27/2020 उनवानी रोहिताश बनाम राजस्थान सरकार जिसके द्वारा उन्होनें अनुचित अवैध एवं क्षेत्राधिकार–विहिन रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या–1 रोहिताश की प्रथम अपील स्वीकार करते हुये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.7.2020 बाबत प्रकरण संख्या 106/2020 उनवानी सरकार बनाम रोहिताश को निरस्त कर विवादित भूमि खसरा नंबर 140/0.98 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड को रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में अवैध रूप से नियम किये जाने हेतु प्रकरण रिमांड किया।

उपस्थित–

1. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, वकील अपीलान्ट
2. श्री रामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक –12.02.2024

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलाधीश, कोटपूतली के निर्णय दिनांक 17.03.2021 के खिलाफ दिनांक दोनों अपील क्रमश : दिनांक 15.07.2020 एवं दिनांक 12.04.2021 को प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार कोटपूतली ने अपनी आज्ञा दिनांक 09.07.2020 मु. नम्बर 106/2020 के द्वारा रेस्पोडेन्ट नंबर–1 अप्रार्थी रोहिताश पुत्र प्रभूदयाल जाति गुर्जर को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अन्तर्गत पूर्णतया विधिसम्मत तरीके से नोटिस जारी करके सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधि सम्मत तरीके से विवादित भूमि खसरा नम्बर 140/0.98 पर अप्रार्थी संख्या–1 रेस्पोडेन्टस रोहिताश को गैर मुमकिन पहाड की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व पेनेल्टी के आदेश पारित किये थे। तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 09.07.2020 से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 रोहिताश पुत्र श्री प्रभूदयाल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर ने अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपूतली के पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2017 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाकर आदेश किये गये कि यदि अपीलान्ट का आ.ख.नं. 140 किस्म गै0मु. पहाड रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम पीचाणी में से 0.03 है0 पर पुख्ता निर्माण पाया जाता है तो उसे नियमानुसार नियमन कराने के आदेश प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.03.2021 से व्यथित होकर तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर तथा रेवडमल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर दिनांक 17.03.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिलाधीश, कोटपूतली दिनांक 17–3–2021 बाबत अपील संख्या 27/2020 पूर्णतया विधि विधान पत्रावली एवं तथ्यों के विपरीत व क्षेत्राधिकार– विहीन तथा अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। विद्वान तहसीलदार ने अपनी आज्ञा दिनांक 09–07–2020 मु0 नंबर 106/2020 के द्वारा रेस्पाडेन्ट नंबर 1 अप्रार्थी रोहिताश पुत्र

संभागीय आयुक्त

प्रभुदयाल जाति गुर्जर को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा – 91 के अन्तर्गत पूर्णतयम विधिसम्मत तरीके से नोटिस जारी करके सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधि सम्मत तरीके से विवादित भूमि खसरा नंबर 140/0.98 पर अप्रार्थी संख्या 1 रेस्पाडेन्टस रोहिताश को गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व पेनेल्टी के आदेश पारित किये थे, जिसे अति जिलाधीश, कोटपूतली ने रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की प्रथम अपील में अनुचित एवं अवैधानिक रूप से निरस्त करते हुये रेस्पाडेन्ट के पक्ष में नियमन करने के आदेश सहित प्रकरण तहसीलदार को रिमांड करने में गंभीर कानूनी भूल की हैं। क्योंकि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 16 में गै0मु0 नदी–नाले, चरागाह, गै०मु० पहाड़ की भूमि में नियमन के द्वारा किसी भी व्यक्ति अतिक्रमी को केवल मात्र लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं तथा न ही ऐसी भूमियों पर खातेदारी नियमन हेतु आदेश प्रदान किये जा सकते है, इस कारण आज्ञा जैर अपील विद्वान अति० जिलाधीश, कोटपूतली दिनांक 17–03–2021 पूर्णतया विधि विरुद्ध, क्षेत्राधिकार– विहीन, शून्य एवं अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। वर्तमान अपीलान्ट उक्त भूमि के समीप की पडोस वाली भूमि के पडोसी काबिज काश्तकार है तथा रेस्पाडेन्ट संख्या–1 रोहिताश ने गै०मु० पहाड की भूमि पर अवैध रूप से स्वयं के निवास हेतू मकान आदि बना रखे हैं तथा अवैध रूप से खनन कार्य कर रहा है तथा ताकत के बल पर अपीलांट की कृषि भूमि में से जबरन आने–जाने हेतु रास्ता बनाकर वाहनों आदि से अवैध रूप से पहाड़ से पत्थर, रोडी आदि ले जाकर उन्हें कृषि कार्य में व्यवधान) दखल करता है, इस कारण अपीलान्ट उक्त प्रकरण में प्रभावित ग्रीव्ड एवं पीड़ित पकार हैं। यहीं पर यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने ए.डी.एम., कोटपूतली में उक्त अपील विचाराधीन होने की जानकारी होते हुये ही स्वयं को सुनवाई का मौका प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 13–7–2020 को कैवियट प्रार्थना पत्र के साथ जरिये वकील श्री जोगेन्द्र बंसल व श्री हंसराज रावत, एडवोकेटस् ने वकालतनामा भी पेश कर दिया था किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पड़ौसी काबिज खातेदार काश्तकार रेवडमल पुत्र लादूराम गुर्जर को कतई कोई सुनवाई का मौका व नोटिस आदि जारी नहीं किया, तथा महज रेस्पो० संख्या – एक को अनुचित व अवैध लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एक पक्षीय रूप से उनके पक्ष में प्रथम अपील एक पक्षीय रूप से आंशिक एवं स्वीकार करके उनके पक्ष में बिना मांगे ही अनुतोष अपील नहीं चाहने पर भी प्रदान करते हुये रिमांड प्रतिप्रेषित करने की आज्ञा जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की है तथा इसी आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट को उक्त द्वितीय अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक हैं। विद्वान अति० जिलाधीश, कोटपूतली ने प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित करने से पूर्व वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या–1 रोहिताश की प्रथम अपील को पढ़ने तक का कष्ट नहीं किया, क्यों कि स्वयं रोहिताश ने अपनी प्रथम अपील में ए.डी एम., कोटपूतली से केवल मात्र तहसीलदार, कोटपूतली के आदेश दिनांक 9–7–2020 बाबत प्रकरण संख्या 106/2020 धारा– 91 राज0 टेनेन्सी एक्ट, 1956 को निरस्त कराने की ही इस्तदुआ अनुतोष की ही मांग की थी, उनके द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 140/0.98 है0 स्थित ग्राम पिचाणी खड़ब, आई.एल.आर. (भू–अभिलेख क्षेत्र–नारहेडा) तहसील कोटपूतली की,के बारे में नियमन बाबत कोई अनुतोष ही नहीं मांगा गया था, तो प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रकरण तहसीलदार, कोटपूतली को रेस्पाडेन्ट सं0–1 के पक्ष में नियमन हेतू केवल मात्र कब्जे के आधार पर रिमांड प्रतिप्रेशित किये जाने का कोई औचित्य ही शेष नहीं रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलान्ट रोहिताश वर्तमान रेस्पाडेन्ट सं. 1 स्वयं अपनी अपील के पैरा संख्या–5 व 6 में विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 140/0.98 है0 भूमि स्थित ग्राम पिचाणी खडब, ढाणी उपला स्वामी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर पर स्वयं का कोई कब्जा भूमि पर नहीं मानते है तथा न ही कोई अतिक्रमण ही विवादित भूमि पर मानते है तो प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किस आधार पर रेस्पाडेन्ट सं0–1 का कब्जा मानते हुए नियमन कराने के आदेश प्रदान करते हुए प्रकरण रिमांड किया है। यह प्रश्न विचारणीय है तथा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय गै०मु० पहाड़ की भूमि का नियमन किये जाने हेतु पारित होने के कारण भी पूर्णतया अवैध एवं क्षेत्राधिकार–विहीन निर्णय की तारीफ में आने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। वर्तमान अपीलान्ट ने दिनांक 29.5.2020 को तहसीलदार, कोटपूतली के समक्ष राजकीय सरकारी भूमि गै०मु० पहाड की भूमि खसरा नंबर 140 ग्राम पिचाणी खडब तहसील कोटपूतली में रेस्पाडेन्ट सं0–1 रोहिताश द्वारा अवैध खनन कार्य, मकान निर्माण किये जाने की शिकायत कर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया था, जिस पर तहसीलदार, कोटपूतली ने भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का खडब तहसील कोटपूतली से रिपोर्ट भी मंगायी थी तथा उसके बाद ही स्वयं ने गै०मु०पहाड की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की थी, जिस आज्ञा को ए. डी. एम. कोटपूतली ने अवैधानिक रूप से आज्ञा जैर अपील के माध्यम से निरस्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में गै०मु० पहाड़ की भूमि को नियमन करने हेतू प्रकरण तहसीलदार को रिमांड करने में गंभीर कानूनी भूल की है। तथा अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में प्रभावित एग्रीव्ड व पीडित पक्षकार होने से उन्हें उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है तथा उन्हें उक्त अपील पेश करने हेतु न्याय हित में अनुमति प्रदान की जावें । विद्वान ए.डी.एम. कोटपूतली ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की और कतई ध्यान नहीं दिया कि गै०मु० पहाड की भूमि में न तो किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है, न ही नियमन किया जा सकता है, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा पारित धारा–91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पारित बेदखली के आदेश के विरूद्व रेस्पाडेन्ट संख्या–1 रोहिताश द्वारा प्रस्तुत अपील में उसके पक्ष में नियमन किये जाने का जो आदेश अपील पारित किया है, वह सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार कोटपूतली (अपीलान्ट) ने अपनी आज्ञा दिनांक 09.07.2020 मु0न0 106/2020 के द्वारा रेस्पो० नम्बर–1 अप्रार्थी रोहिताश पुत्र प्रभूदयाल जाति गुर्जर को धार–91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के अन्तर्गत पूर्णतया विधिसम्मत तरीके से नोटिस जारी कर के सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तारीख़ से विवादित भूमि ख०न० 140/0.98 है0 पर अप्रार्थी संख्या–1 रेस्पो० रोहिताश को गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व पेनेल्टी के आंदेश पारित किये थे, जिसे श्रीमान अति० जिलाधीश महोदय कोटपूतली ने रेस्पो० संख्या–1 की प्रथम अपीलीय में अनुचित एवं अवैधानिक रूप से निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की प्रथम अपील के पक्ष में नियमन करने के आदेश सहित प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को रिमान्ड करने में गंभीर कानूनी भूल की है क्योंकि गै०मुं० पहाड की भूमि में निमयन के द्वारा किसी भी व्यक्ति (अतिक्रमी) को केवल मात्र लम्बे कब्जे के आधार पर खातेंदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। ना ही ऐसी भूमियो पर खातेदारी नियमन हेतु आदेश प्रदान किये जाते है। वर्तमान प्रकरण में उक्त भूमि के समीप ही पड़ोस वाली भूमि के पडोसी काबिज कास्तकार रेपोन्डेट संख्या–1 रोहिताश ने गै०मु० पहाड की भूमि पर अवैध रूप से स्वयं के निवास आदि बना रखे है। अपीलान्ट तहसीलदार कोटपूतली द्वारा रेस्पो० नम्बर–1 रोहिताश गै०मु० पहाड़ की भूमि बेदखली आदेश की कार्यवाही में वर्तमान अपीलान्ट ने विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। वर्तमान प्रकरण में अन्य ग्रामवासियों ने दिनांक 29.05.2020 को तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष राजकीय (सरकारी भूमि) गै०मु० पहाड़ की भूमि ख0न0 140 वाकै ग्राम पिचाणी खंड़ब तहसील कोटपूतली ने रैस्पो० संख्या–1 रोहिताश द्वारा अवैध कब्जा (मकान निमार्ण) किये जाने की शिकायत कर उचित कार्यवाही की जाने हेतु प्रार्थना भी पेश किया था। जिस पर तहसील कार्यालय द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का खड़ब से रिपोर्ट भी मंगवाई थी तत्पश्चात ही नियमानुसार गै०मु० पहाड़ की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की आज्ञा कार्यवाही की थी। अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में प्रभावित एग्रीव्ड पीडित पक्षकार होने से उन्हें उक्त द्वितिय अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। तथा उन्हे उक्त अपील पेश करने हेतु न्याय हित में अनुमति प्रदान की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जावे, क्योंकि उक्त आज्ञा तैर अपील इस कार्यालय द्वारा पारित की गई है। एवं प्रकरण में राजस्थान सरकार की भूमि में जरिये लैण्ड होल्डर हितबद्ध पक्षकार हूँ । माननीय विद्वान ए.डी.एम साहब कोटपूतली ने इस महत्त्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि गै०मु० पहाड़ की भूमि में न तो किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्राप्त होते है। न ही नियमन किया जा सकता है। किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित धारा–91 के अन्तर्गत बेदखली के आदेश दिनांक 09.07.2020 के विरूद्व जाकर रेस्पो० संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत अपील में उसके पक्ष में नियमन किये जाने का आदेश पारित किया है। वह सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त अपील तहसीलदार कोटपूतली द्वारा राजस्थान सरकार के हित में सरकारी गै०मु० पहाड़ की भूमि को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से पेश की जा रही है। अतः द्वितिय अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा जैर अपील माननीय अति० जिलाधीश महोदय, कोटपूतली दिनांक 17.03.2021 बाबत प्रकरण संख्या 17/2020 निरस्त फरमाई जाकर न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2020 बाबत प्रकरण संख्या 106/2020 यथावत कायम रखा जावे। अन्य उचित अनुतोष जो न्यायालय हाजा अपीलान्ट के पक्ष में आवश्यक समझे प्रदान करे तथा रेस्पो० संख्या–1 रोहिताश को त्वरित गति से राज्य सरकार (भू–स्वामी) के पक्ष की गै०मु० पहाड़ की भूमि ख0न0 140/0.98 है0 में से 0.03 है0 भूमि से तुरन्त बेदखल करके कब्जा राज्य सरकार के हित में संरक्षित किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। अपीलान्ट सरकारी कर्मचारी है तथा उसके पास न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्य भी ज्यादा है तथा दिहनांक 19.04.2021 से कोरोना महामारी के कारण राज0 सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था, इस कारण उक्त पारित अपील पेश करने में हुआ विलंब जानबूझकर, लापरवाहीवश नहीं, बल्कि परिस्थिति के कारण सद्भावनावश हुआ है, जो न्याय हित में क्षमा फरमाया जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कोरोना महामारी के कारण प्रकरणों में मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए मियाद को क्षमा करने के निर्देश प्रदान किये हुए हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि न्याय हित में उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुये अपील पेश करने में हुए विलंब क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर मैरिट (गुणावगुणों) पर निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हल्का पटवारी खडब ने तहसीलदार कोटपूतली के यहां एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम पिचाणी, तहसील कोटपूतली के खसरा नम्बर 140/0.98 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि पर रोतिश पुत्र श्री प्रभूदयाल, जाति गुर्जर निवासी ढाणी उपला स्वामी, तन खडब, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान ने पुख्ता निर्माण कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहसीलदार कोटपूतली नें अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना जवाब दिये ही दिनांक 9.7.2020 को अपीलान्ट को 0.03 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी करते हुये बेदखली व पेनल्टी वसूली के आदेश प्रदान किये गये। हल्का पटवारी कभी भी मौके पर नहीं गया तथा ना ही उसने मौके पर कभी भूमि का नापतौल किया है ना ही पत्थरगढी की ना ही सीमाज्ञान करवाया है, ना ही मौके पर गया है। मात्र कयास के आधार पर उसने झूंठी रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था ना ही कोई निर्माण कार्य किया गया था, पटवारी हल्का ने बिना मौके की जांच किये गलत रिपोर्ट पेश की है। पटवारी की रिपोर्ट मौके की स्थिति के विपरीत है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा भूमि पर नहीं है न उन्होने किया है, लेकिन गलत रिपोर्ट पेश की गई है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट बनाकर तथा उस रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने केवल मात्र पटवारी के बयानों व उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिना मौका देखे तथा प्रार्थी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को सुनवाई का मौका दिये बिना निर्णय देने में भूल की है। तहसीलदार कोटपूतली ने अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं बिना जवाब दिये ही दिनांक 09.07.2020 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं बिना जवाब दिये ही दिनांक 09.07.2020 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को 0.03 है0 भूमि पर अतिक्रमण घोि ात करते हुए बेदखली व पैनल्टी वसूली के आदेश प्रदान किये गये। तहसीलदार कोटपूतली के निर्णय दिनांक 09.07.2020 से व्यथित होकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के यहां अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटपूतली ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2017 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाकर आदेश किये गये कि यदि अपीलान्ट का आ.ख.नं. 140 किस्म गै0मु. पहाड रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम पीचाणी में से 0.03 है0 पर पुख्ता निर्माण पाया जाता है तो उसे नियमानुसार नियमन कराने के आदेश प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 को पटवारी हल्का खडब ने तहसीलदार कोटपूतली के यहां एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम पिचाणी तहसील कोटपूतली के खसरा नम्बर 140/0.98 में से 0.03 है0 भूमि पर रोहितश पुत्र प्रभुदयाल जाति गुर्जर ढाणी उपलास्वामी तन खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान ने पुख्ता निर्माण कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट को नोटिस तामील हुआ है। नोटिस तामील होने के उपरांत रेस्पोडेन्ट नं. 1 स्वंय जरिये अधिवक्ता दिनांक 30.06.2020 को उपस्थित हुये। वास्ते जवाब अवसर दिये जाने के उपरान्त भी गैर सायल द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया तथा ना ही कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अनुतोष दिया जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको तहसीलदार कोटपूतली में सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा सम्वत 2077 में वाके ग्राम पिचाणी, तहसील कोटपूतली के खसरा नम्बर 140/0.98 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि पर रोतिश पुत्र श्री प्रभूदयाल, जाति गुर्जर निवासी ढाणी उपला स्वामी, तन खडब, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान ने पुख्ता निर्माण कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जिसके आधार पर तहसीलदार कोटपूतली ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रोहिताश को गैर मुमकिन पहाड की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व पेनेल्टी के आदेश पारित किये थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रोहिताश ने तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 09.07.2020 से व्यथित होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

कोटपूतली जिला जयपुर के यहां अपील की गई। जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2017 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाकर आदेश किये गये कि यदि अपीलान्ट का आ.ख.नं. 140 किस्म गै0मु. पहाड रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम पीचाणी में से 0.03 है0 पर पुख्ता निर्माण पाया जाता है तो उसे नियमानुसार नियमन कराने के आदेश प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली ने प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित करने से पूर्व वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या–1 रोहिताश की प्रथम अपील में स्वयं रोहिताश ने अपनी प्रथम अपील में ए.डी एम., कोटपूतली से केवल मात्र तहसीलदार, कोटपूतली के आदेश दिनांक 09.07.2.2020 बाबत प्रकरण संख्या 106/2020 धारा– 91 राज0 टेनेन्सी एक्ट, 1956 को निरस्त कराने की ही इस्तदुआ अनुतोष की ही मांग की थी, उनके द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 140/0.98 है0 स्थित ग्राम पिचाणी खड़ब, आई.एल.आर. (भू–अभिलेख क्षेत्र–नारहेडा) तहसील कोटपूतली की, के बारे में नियमन बाबत कोई अनुतोष ही नहीं मांगा गया था, तो प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रकरण तहसीलदार, कोटपूतली को रेस्पाडेन्ट सं0–1 के पक्ष में नियमन हेतु केवल मात्र कब्जे के आधार पर रिमांड प्रतिप्रेशित किये जाने का कोई औचित्य ही शेष नहीं रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलान्ट रोहिताश वर्तमान रेस्पाडेन्ट सं. 1 स्वयं अपनी अपील के पैरा संख्या–5 व 6 में विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 140/0.98 है0 भूमि स्थित ग्राम पिचाणी खडब, ढाणी उपला स्वामी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर पर स्वयं का कोई कब्जा भूमि पर नहीं मानते है तथा न ही कोई अतिक्रमण ही विवादित भूमि पर मानते है तो प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किस आधार पर रेस्पाडेन्ट सं0–1 का कब्जा मानते हुए नियमन कराने के आदेश प्रदान करते हुए प्रकरण रिमांड किया है। यह प्रश्न विचारणीय है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय गै०मु० पहाड़ की भूमि का नियमन किये जाने हेतु पारित होने के कारण भी पूर्णतया अवैध एवं क्षेत्राधिकार–विहीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 16 में गै0मु0 नदी–नाले, चरागाह, गै०मु० पहाड़ की भूमि में नियमन के द्वारा किसी भी व्यक्ति अतिक्रमी को केवल मात्र लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं तथा न ही ऐसी भूमियों पर खातेदारी नियमन हेतु आदेश प्रदान किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं, विधिसम्मत नही है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.03.2021 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2020 बाबत प्रकरण संख्या 106/2020 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर।